



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1943 (श10)

(सं० पटना 720) पटना, मंगलवार, 24 अगस्त 2021

सं० 13 जला०-01-04/2021/1222-न०वि०एवं०आ०वि०

नगर विकास एवं आवास विभाग

पेयजल उपयोग शुल्क (Water User Charge) नीति, 2021

संकल्प

19 अगस्त 2021

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अन्तर्गत हर घर नल-जल की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण निश्चय कार्यक्रम है। नगर विकास एवं आवास विभाग के परिप्रेक्ष्य में विभागीय संकल्प सं०-1287 दिनांक 25.02.2016 के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों के प्रत्येक घरों/परिवारों को पाइप जलापूर्ति द्वारा नल का जल उपलब्ध कराया जाना है। राज्य के नगर निकायों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, राज्य योजना, AMRUT योजना एवं ADB से प्रदत्त ऋण के तहत राज्य योजना से संपोषित योजना के अन्तर्गत हर घर नल-जल योजना कार्यान्वित करायी जा रही है।

2. तदालोक में उपरोक्त विभिन्न माध्यमों से क्रियान्वित नल-जल योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से संवेदकों द्वारा कराया जा रहा है, जिन्हें उक्त योजना का 5 वर्षों तक रख-रखाव भी करना है। 05 वर्षीय रख-रखाव के अन्तर्गत ऑपरेटर की नियुक्ति, distribution network में किसी प्रकार के लीकेज की मरम्मत, मोटर, पम्प, बोरिंग, जल मीनार में किसी भी प्रकार की खराबी की मरम्मत करना संवेदकों का दायित्व है। रख-रखाव कार्य हेतु प्रत्येक वर्ष संवेदकों को नगर निकायों द्वारा अनुमान्य राशि का भुगतान किया जाना है। उक्त रख-रखाव के अलावा मोटर/पम्प के लिए विद्युत विपत्र का भुगतान भी नगर निकायों को करना होगा। संवेदकों द्वारा 5 वर्षीय रख-रखाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद नल-जल योजना के रख-रखाव की अन्य व्यवस्था शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा।

विद्युत विपत्र का भुगतान एवं रख-रखाव करने हेतु यह आवश्यक है कि लाभान्वित परिवारों से एक निश्चित वार्षिक राशि वसूली जाय, जिससे नगरपालिकाओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ नहीं पड़े एवं साथ ही नागरिकों को भी सत्त पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित हो सके। उक्त के आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के भाग- IV के अध्याय, XV (नगरपालिका राजस्व) के अन्तर्गत धारा 127 (घ) एवं 128 (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेयजल उपयोग शुल्क (Water User Charge) नीति लागू की जा रही है।

3. मूल्य परिकल्पना का आधार:-

3.1 शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियाँ है यथा-

- (i) घरेलू उपयोग
- (ii) व्यावसायिक उपयोग (होटल/रेस्टोरेंट/ढावा/सिनेमा हॉल/सर्विस स्टेशन एवं अन्य छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान, जो जल का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए करते हैं)
- (iii) सरकारी संस्थान द्वारा उपयोग यथा- (स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, अस्पताल, गेस्ट हाउस आदि)
- (iv) गैर सरकारी संस्थान यथा- (गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, अस्पताल, नर्सिंग होम आदि)
- (v) औद्योगिक इकाई (छोटे एवं बड़े)

3.2 बिहार राज्य के लिए घरेलू उपयोग हेतु property tax देयता राशि के आधार पर निम्न प्रकार श्रेणियाँ निर्धारित की जा रही है (व्यावसायिक एवं संस्थागत प्रतिष्ठानों को छोड़कर):-

- (iii) ₹ 0 - ₹ 1000
- (iv) ₹ 1001-2000
- (iii) ₹ 2001 - 3000
- (iv) ₹ 3001 एवं उससे अधिक

3.3 अतः उपरोक्त परिकल्पना के आधार पर उपरोक्त वर्णित Property tax की देयता राशि के श्रेणी में प्रति वर्ष प्रत्येक घर के लिए निम्न प्रकार राशि वसूलनीय होगा :-

Property tax श्रेणी**पेयजल शुल्क की निर्धारित राशि**

- | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| (i) ₹ 0 - ₹ 1000 | - ₹ 480 / वर्ष | (या ₹ 40 / माह) |
| (ii) ₹ 1001- ₹ 2000 | - ₹ 780 / वर्ष | (या ₹ 65 / माह) |
| (iii) ₹ 2001 - ₹ 3000 | - ₹ 1440 / वर्ष | (या ₹ 120 / माह) |
| (iv) ₹ 3001 एवं उससे अधिक | - ₹ 1800 / वर्ष | (या ₹ 150 / माह) |

4. विभिन्न व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य संस्थागत प्रतिष्ठानों से Water meter के आधार पर राशि निम्नरूपेण वसूलनीय होगी :-

व्यावसायिक उपयोग (होटल/रेस्टोरेंट/अस्पताल/नर्सिंग होम/सर्विस स्टेशन एवं अन्य छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान, जो जल का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए करते हैं), वाले मामलों में काफी मात्रा में शुद्ध पेयजल का उपयोग होता है, अतः इसके लिए Water meter का प्रावधान करते हुए Water meter के अनुसार निम्नरूपेण Water charge वसूल किया जायेगा :-

4.1 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (होटल, रेस्टोरेन्ट, ढावा, सिनेमा हॉल, सर्विस स्टेशन एवं अन्य छोटे व्यापारी प्रतिष्ठान जो जल का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए करते हैं) हेतु (Water meter के आधार पर) घरेलू उपयोग को छोड़कर-

Property tax श्रेणी**पेयजल शुल्क की निर्धारित राशि (Water meter के आधार पर)**

- | | |
|---------------------------|---|
| (i) ₹ 0 - ₹ 1000 | - ₹ 2400 (One time fixed charge) + ₹ 7.50 per kl - (18 kl प्रति माह से अधिक खपत पर ₹ 12 / kl की दर से भुगतान करना होगा) |
| (ii) ₹ 1001 - ₹ 2000 | - ₹ 4200 (One time fixed charge) + ₹ 9.50 per kl - (30 kl प्रति माह से अधिक खपत पर ₹ 18 / kl की दर से भुगतान करना होगा) |
| (iii) ₹ 2001 - ₹ 3000 | - ₹ 6000 (One time fixed charge) + ₹ 12 per kl - (45 kl प्रति माह से अधिक खपत पर ₹ 24 / kl की दर से भुगतान करना होगा) |
| (iv) ₹ 3001 एवं उससे अधिक | ₹ 12,000 (One time fixed charge) + ₹ 14.50 per kl (60kl प्रति माह से अधिक खपत पर ₹ 30/kl की दर से भुगतान करना होगा। |

4.2 सरकारी संस्थानों द्वारा उपयोग के लिए उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर (सरकारी स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, अस्पताल आदि के लिए) (मात्र Builtup Area के property tax की देयता के आधार पर)

Property tax श्रेणी पेयजल शुल्क की निर्धारित राशि (Water meter के आधार पर)

(i) ₹ 0 - ₹ 1000	- ₹ 2400 (One time fixed charge) + ₹ 2.50 per kl With meter
(ii) ₹ 1001-₹ 2000	- ₹ 4200 (One time fixed charge)+ ₹ 3.50 per kl With meter
(iii) ₹ 2001 -₹ 3000	- ₹ 6000 (One time fixed charge) + ₹ 5 per kl With meter
(iii) ₹ 3001 एवं उससे अधिक	- ₹ 12000 (One time fixed charge) + ₹ 6 per kl With meter

4.3 गैर सरकारी संस्थान यथा -गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, अस्पताल आदि (मात्र Builtup Area के property tax की देयता के आधार पर) के लिए :-

Property tax श्रेणी पेयजल शुल्क की निर्धारित राशि (Water meter के आधार पर)

(i) ₹ 0 - ₹ 1000	- ₹ 2400 (One time fixed charge) + ₹ 5 per kl with meter
(ii) ₹ 1001-₹ 2000	- ₹ 4200 (One time fixed charge)+ ₹ 5 per kl with meter
(iii) ₹ 2001 - ₹ 3000	- ₹ 6000 (One time fixed charge) + ₹ 9.50 per kl with meter
(iii) ₹ 3001 एवं उससे अधिक	- ₹ 12000 (One time fixed charge) + ₹ 12 per kl with meter

4.4 औद्योगिक इकाई (छोटे एवं बड़े) के लिए :-

औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए भी Water meter के आधार पर निम्नरूपेण पेयजल उपयोग शुल्क (Water User charge) लिया जाएगा :-

SSI Unit :-

(i)	One time Fixed charge ₹ 6000 and User Charge ₹ 12 / kl	- (50 kl प्रति माह तक खपत होने पर)
(ii)	One time Fixed charge ₹ 6000 and User Charge ₹ 18 / kl	- (50 kl प्रति माह से अधिक एवं 75 kl प्रति माह तक खपत होने पर)
(iii)	One time Fixed charge ₹ 6000 and User Charge ₹ 24 / kl	- (75 kl प्रति माह से अधिक खपत होने पर)

Other Unit :-

(i)	- One time Fixed charge ₹12000 and User Charge ₹18/ kl	- (100 kl प्रति माह तक खपत होने पर)
(ii)	One time Fixed charge ₹12000 and User Charge ₹24/ kl	- (100kl प्रति माह से अधिक एवं 150 kl प्रति माह तक खपत होने पर)
(iii)	One time Fixed charge ₹12000 and User Charge ₹ 36/ kl	- (150 kl प्रति माह से अधिक खपत होने पर)

औद्योगिक ईकाई में कार्यरत कर्मियों के लिए पेयजल भी Water meter के आधार पर ₹ 2400 (One time fixed charge) + ₹ 7.50/kl के दर से पेयजल उपयोग शुल्क (Water User charge) वसूलनीय होगा।

5. भुगतान की प्रक्रिया:- उक्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रत्येक household/व्यापारिक प्रतिष्ठान/सरकारी संस्थान/गैर सरकारी संस्थान औद्योगिक प्रतिष्ठान को property tax के साथ भुगतान करना आवश्यक होगा। यदि पेयजल उपयोग शुल्क (Water User charge) का भुगतान देय तिथि से एक वर्ष बाद तक नहीं किया जाता है तो उनका जल संयोजन काट दिया जायेगा तथा पुनः जल संयोजन में लगने वाली राशि लाभुक/प्रतिष्ठान से वसूलनीय होगा, जो कम से कम ₹1000/- होगा।

देय तिथि के बाद पेयजल उपयोग शुल्क (Water User charge) का भुगतान करने पर प्रति माह 1% की दर से सूद की राशि वसूलनीय होगी।

6. अन्यान्य :- पेयजल उपयोग शुल्क (Water User charge) के रूप में वसूलनीय राशि मात्र विद्युत विपत्र के भुगतान एवं उसके रख-रखाव के आधार पर ही है, जिसमें मुख्य घटक विद्युत् विपत्र का भुगतान है। अतः विद्युत् चार्ज के बढ़ने के साथ ही पेयजल उपयोग शुल्क (Water User charge) की राशि में भी वृद्धि सम्भावित है, तदनुसार विद्युत् चार्ज के दर में वृद्धि के आधार पर पेयजल उपयोग शुल्क (Water User charge) की राशि भी आवश्यकतानुसार नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी। भविष्य में आवश्यकतानुसार नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समय-समय पर इस नीति तथा विभिन्न पेयजल उपयोग शुल्कों (Water User charges) में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्यपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 720-571+500-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>